



Neutral Citation No. - 2026:AHC:35631

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 6350/2026

लक्ष्मण

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : बृजेश कुमार सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा की गई एकमात्र प्रार्थना यह है कि प्रतिवादी संख्या 2, यानी कमिश्नर, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को यह निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता द्वारा रिवीजन संख्या सी202615000000124/2026 (लक्ष्मण बनाम भारत और अन्य) के साथ दायर स्थगन आवेदन पर उचित आदेश पारित करें।
2. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से पेश विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि प्रतिवादी संख्या 2, उपर्युक्त आवेदन के साथ दायर अंतरिम राहत प्रदान करने के आवेदन पर शीघ्रता से उचित आदेश पारित कर सकते हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से पेश विद्वान स्थायी अधिवक्ता, साथ ही प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ला को सुना गया।
4. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के मददेनज़र, निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और मुद्दे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2, यानी कमिश्नर, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़—जिनके समक्ष उपर्युक्त रिवीजन लंबित है—अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने के आवेदन पर, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, पूर्णतः कानून के अनुरूप और शीघ्रता से निर्णय लें; और यदि कोई कानूनी बाधा न हो, तो इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना बेहतर होगा।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

17 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”